7/2/24

अधिवक्ता वादी एवं वादीया स्वयं उपस्थित। वादीया के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादीया वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहती है, अतः वाद पत्र रिजेक्ट मे निरस्त करावे। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जावे। चूंकि वादीया वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहती है अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र रिजेक्ट मे खारीज किया जाता है। पत्रावली कैल्स शुमार होकर नम्बर ले कीम हो।

Saroj Kumari

Advocate

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner